परीक्षा समिति की सामान्य बैठक दिनांक 03 जनवरी,2020 मध्याह्न 12.00 बजे की कार्यवाही

आज दिनांक 03.01.2020, दिन शुक्रवार को मध्याह्न 12:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	अध्यक्ष
2.	डा0 आरती लाल चन्दानी, डीन, चिकित्सा संकाय, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर।	सदस्य
3.	डॉ0 रिपुदमन सिंह, प्राचार्य, पंजायत राज राजकीय महिला महाविद्यालय, इटावा	सदस्य
4.	प्रो0 एस0सी0 अग्रवाल, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय,, कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो0 नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
6.	डा0 संदीप कुमार सिंह, सह–आचार्य,प्रौढ एवं सतत् शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
7.	डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
8.	प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
9.	डॉ0 विनोद कुमार सिंह, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, संगणक केन्द्र, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	श्री एस.एल. पाल, उपकुलसचिव (परीक्षा), सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	डॉ0 अनिल कुमार यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सचिव

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदया की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि समिति के पूर्व सदस्यों डा0 आर0 के0 पाण्डेय, डा0 मुनेश कुमार, डा0 अंशु यादव एवं डा0 देवेन्द्र अवस्थी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। सचिव ने पूर्व सदस्यों द्वारा समिति को दिये गये सुझावों एवं योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की तथा प्रो0 एस0सी0 अग्रवाल, प्रो0 नन्दलाल, डा0 संदीप कुमार सिंह एवं डा0 आरती लाल चन्दानी को परीक्षा समिति का सदस्य नामित होने पर बधाई देते हुए उनका स्वागत किया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुयी।

बिन्दु सं0 : 1– परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11–10–2019 की कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :– परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 11–10–2019 को सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

बिन्दु सं0 : 2– परीक्षा समिति के सदस्य डा0 मुनेश कुमार एवं डा0 देवेन्द्र अवस्थी का कार्यकाल दिनांक 12.12.2019 को समाप्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर, अध्यादेश में वर्णित प्राविधानों के अनुसार दो नये सदस्यों को परीक्षा समिति द्वारा नामित किये जाने पर विचार ।

निर्णय :– परीक्षा समिति के सदस्य डा0 मुनेश कुमार एवं डा0 देवेन्द्र अवस्थी का कार्यकाल दिनांक 12.12.2019 को समाप्त हो गया था। उक्त सदस्यों के स्थान पर परीक्षा समिति द्वारा अध्यादेश के वर्णित नियमों के अनुसार निम्नांकित दो नये सदस्यों को नामित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी –

क्रमशः पृष्ठ ...2....

03.01.2020

3/01/2020

Scanned with CamScanner

1	One other member of the Executive Council (Except Dean) to be Co-opted by the Examination Committee	डा0 उपमा श्रीवास्तव वरिष्ठ सहायक आचार्य, प्रौढ़ एवं शिक्षा प्रसार विभाग, सी.एस. वि.वि., कानपुर ।
2	One other member of the Academic Council who is neither a member of the Executive Council nor Dean, to be Co-opted by the Examination Committee.	डा0 गायत्री सिंह प्राचार्या, अर्मापुर पी0जी0 कालेज, का

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक / उपकुलसचिव(परीक्षा)

बिन्दु सं0 : 3– पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम की शोधार्थी वीनू त्रिपाठी के प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिये जाने पर विचार।

निर्णय :– शिक्षा प्रशिक्षण विषय की शोधार्थी सुश्री वीनू त्रिपाठी पुत्री श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी ने अपने पत्र दिनांक 14.08.2019 के माध्यम से दिनांक 24–10–2016 को परिमार्जित कर जमा किये गये शोध ग्रन्थ के आधार पर शोध प्रकरण को निस्तारित करने का अनुरोध किया गया था। शोधार्थिनी के शोध ग्रन्थ का मूल्यांकन, शोध अध्यादेश में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराया गया। नियमानुसार चौथे परीक्षक द्वारा शोधार्थिनी का शोध ग्रन्थ परिमार्जित करने हेतु आख्या दी गयी, जिस पर शोधार्थिनी को दिनांक 17–08–2017 को चौथे परीक्षक की आख्यानुसार शोध ग्रन्थ परिमार्जित कर पत्र निर्गत होने की तिथि से 6 माह पश्चात् अथवा एक वर्ष के अन्दर अपना परिमार्जित शोध प्रबन्ध जमा कर देना चाहिए था, शोधार्थिनी द्वारा परिमार्जित शोध प्रबन्ध जमा करने की तिथि दिनांक 17–08–2018 को समाप्त हो गयी। शोधार्थिनी द्वारा उक्त निर्धारित समयावधि में परिमार्जित शोध ग्रन्थ विश्वविद्यालय में जमा नहीं किया गया बल्कि अपने पत्र दिनांक 14.08.2019 के माध्यम से, पूर्व में उनके द्वारा दिनांक 24–10–2016 को रिवाइज्ड कर जमा किये गये शोध ग्रन्थ के आधार पर शोध प्रकरण को निस्तारित करने का अनुरोध औचित्यहीन एवं शोध अध्यादेश में वर्णित नियमों के विपरीत है। अतः परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से छात्राहित में निर्णय लिया गया कि शोधार्थिनी को अपना परिमार्जित शोध ग्रन्थ अधिकतम 03 माह में जमा करने हेतु समय विस्तरण प्रदान करते हुए अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। तदोपरान्त शोध अध्यादेश में वर्णित नियमों के अन्तर्गत शोधार्थिनी के शोध प्रकरण को निस्तारित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

कार्यवाही–प्रभारी, एकेडमिक विभाग

बिन्दु सं0: 4– छात्रा अनन्या दास, एम0ए0(अंग्रेजी) द्वितीय वर्ष 2015, रोल नं0 8502459 के चतुर्थ प्रश्नपत्र–Dissertation को स्वीकार किये जाने के प्रकरण पर परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26.08.2019 में लिए गये निर्णय के आलोक में सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य से प्राप्त आख्या पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार ।

निर्णय :– छात्रा अनन्या दास ने एम0ए0(अंग्रेजी) द्वितीय वर्ष 2015 की परीक्षा रोल नं0 8502459 से संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में डी0बी0एस0 कालेज,कानपुर से उत्तीर्ण की है। छात्रा द्वारा उक्त परीक्षा के चतुर्थ

क्रमशः पृष्ठ ...3....

03.01.2020

3/1/2020

Scanned with CamScanner

प्रश्नपत्र(History of English Literature From Chaucer to Present Day) में अनुपस्थित प्रदर्शित होने पर अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य से अग्रसारित कराते हुए दिनांक 22/07/2019 को विश्वविद्यालय को प्रेषित किया कि छात्रा द्वारा चतुर्थ प्रश्नपत्र में Dissertation विषय लिया गया था तथा Dissertation को विश्वविद्यालय में जमा कर अनुमति माँगी गयी है। उक्त प्रकरण पर परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26.08.2019 में लिए गये निर्णय के आलोक में प्राचार्य, डी0वी0एस0 कालेज, कानपुर से प्राप्त आख्या परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्राचार्य, डी0वी0एस0 कालेज,कानपुर ने छात्रा के हित को देखते हुए लघुशोध प्रबन्ध जमा की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि परीक्षा नियमों के अन्तर्गत परास्नातक पाठ्यक्रम अधिकतम 05 वर्ष में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए तथा छात्रा द्वारा वर्ष 2015 में परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात लगभग 4 वर्ष बाद चतुर्थ प्रश्नपत्र में अनुपस्थित होने पर उसके स्थान पर Dissertation विषय लिए जाने व लघु शोध प्रबन्ध जमा किये जाने का आवेदन औचित्यहीन है तथा छात्रा को परीक्षा परिणाम आने के पश्चात ही उक्त संशोधन किये जाने हेतु आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना चाहिए था। ~~अतः~~ परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्रा अनन्या दास को चतुर्थ प्रश्नपत्र में Dissertation विषय को अनुमत करते हुए लघुशोध प्रबन्ध विश्वविद्यालय में जमा किये जाने की अनुमति कालबाधित होने के कारण प्रदान नहीं की जा सकती है।

कार्यवाही–उपकुलसचिव(परीक्षा/अतिगोपनीय)

बिन्दु सं0: 5– **बी.ए.एल.एल.बी. की उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ फटे होने के प्रकरण पर गठित जॉच समिति की आख्या पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिये जाने पर विचार।**

निर्णय :– जनवरी, 2019 में सम्पन्न हुई बी.ए.एल.एल.बी. की परीक्षाओं में गया प्रसाद विधि महाविद्यालय, शिवराजपुर, कानपुर देहात(केन्द्र सं0 KN108) की 04 उत्तर पुस्तिकाओं के अन्दर के पृष्ठ फटे पाये जाने के प्रकरण पर माननीया कुलपति महोदया द्वारा गठित जॉच समिति ने आख्या में उल्लेख किया है कि सम्बन्धित प्रकरण पर विस्तृत जॉचोपरान्त यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उत्तर पुस्तिकाओं के पृष्ठ किस स्तर पर फाड़े गये हैं। परीक्षा समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक 06–07–2019 में छात्रहित में प्रभावित छात्रों को औसत अंक प्रदान किये जाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, तद्नुसार ऐसे छात्रों को औसत अंक प्रदान किये जाने की विभागीय कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है। सम्बन्धित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र–डा0 गोविन्द प्रसाद रानी देवी पटेल महाविद्यालय, अरौल, कानपुर नगर के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि उक्त परीक्षा की रिकार्डिंग फरवरी, 2019 में स्वतः डिलीट हो गयी थी। अतः परीक्षा समिति से सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया कि भविष्य में उत्तर पुस्तिकाओं की पैकिंग का कार्य सी.सी.टी0वी0 की निगरानी में कराये जाने जाने तथा रिकार्डिंग सुरक्षित रखे जाने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने के सम्बन्ध में उक्त परीक्षा केन्द्र को कड़ा चेतावनी पत्र प्रेषित किया जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव (सेमेस्टर परीक्षा)

क्रमशः पृष्ठ ...4....

03.01.2020

3/01/2020

Scanned with CamScanner

बिन्दु सं0: 6– भूतपूर्व छात्र मनीष त्रिपाठी के बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष–2004 रोल नं0 310528 के सारणीयन पंजिका में नाम व पिता के नाम की जगह Cancelled अंकित होने तथा छात्र वीरेन्द्र प्रताप यादव के बी0एड0 वर्ष 2005, अनुक्रमांक 12932 के अतिगोपनीय विभाग की सारणीयन पंजिका में Rejected As per Section Roll List अंकित होने के प्रकरण पर गठित जाँच समिति की आख्या पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिये जाने पर विचार।

निर्णय :– भूतपूर्व छात्र मनीष त्रिपाठी के बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष–2004 रोल नं0 310528 के सारणीयन पंजिका में नाम व पिता के नाम की जगह Cancelled अंकित होने तथा छात्र वीरेन्द्र प्रताप यादव के बी0एड0 वर्ष 2005, अनुक्रमांक 12932 के अतिगोपनीय विभाग की सारणीयन पंजिका में Rejected As per Section Roll List अंकित होने के प्रकरण पर परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11.10.2019 में लिए गये निर्णय के आलोक में माननीया कुलपति महोदया द्वारा गठित जॉच समिति की आख्या परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की गयी। परीक्षा समिति ने सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्यों द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं प्रभावित छात्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जॉच समिति की आख्या में छात्र मनीष त्रिपाठी के परीक्षा परिणाम में नाम व पिता के नाम की जगह Cancelled अंकित होने तथा दूसरे छात्र श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव के परीक्षा परिणाम में अतिगोपनीय विभाग की सारणीयन पंजिका में छात्र के नाम व पिता के नाम की जगह Rejected As per Section Roll List को विभागीय त्रुटि माने जाने को उचित मानते हुए परीक्षा समिति ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया कि छात्र मनीष त्रिपाठी के बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष–2004 रोल नं0 310528, महाविद्यालय–वाई0डी0 कालेज, लखीमपुर खीरी के सारणीयन पंजिका में नाम व पिता के नाम की जगह अंकित Cancelled के स्थान पर MANISH TRIPATHI S/o R. N. TRIPATHI अंकित किया जाय।

इसी प्रकार दूसरे छात्र वीरेन्द्र प्रताप यादव के बी0एड0 वर्ष 2005, अनुक्रमांक 12932 के अतिगोपनीय विभाग की सारणीयन पंजिका में Rejected As per Section Roll List अंकित होने को विभागीय त्रुटि मानते हुए प्रकरण पर परीक्षा समिति ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया कि चूंकि परीक्षा रिकार्ड विभाग की सारणीयन पंजिका में तत्कालीन कुलसचिव के आदेशानुसार पूर्व में छात्र का नाम व पिता का नाम संशोधित किया जा चुका है तथा छात्र द्वारा बी0एड0 परीक्षा के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी अस्थाई प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाएँ भी छात्र का निर्गत की जा चुकी हैं। अतः परीक्षा रिकार्ड विभाग में पूर्व में संशोधन के आलोक में बी0एड0 परीक्षा वर्ष 2005 अनुक्रमांक 12932, चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय, हैवरा, इटावा की अतिगोपनीय विभाग की सारणीयन पंजिका में छात्र के नाम व पिता के नाम की जगह अंकित Rejected as Per Section Roll List के स्थान पर छात्र का नाम VEERENDRA PRATAP YADAV S/o JAGDISH YADAV अंकित किये जाने का निर्णय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव(परीक्षा/अतिगोपनीय/सिस्टम मैनेजर)

बिन्दु सं0: 7– भूतपूर्व छात्र राज कुमार पाल द्वारा बी0एस0सी0 प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की परीक्षा पुराने पाठ्यकम से तथा बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष 2015, रोल नं0 6077826 की परीक्षा नये पाठ्यकम से दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण में सम्बन्धित विषयों के संयोजकों से प्राप्त आख्या पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिये जाने पर विचार विचार।

निर्णय :– भूतपूर्व छात्र राज कुमार पाल द्वारा बी0एस0सी0 प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की परीक्षा पुराने पाठ्यकम से तथा बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष 2015, रोल नं0 6077826 की परीक्षा नये पाठ्यकम से दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11.10.2019 में लिए गये

क्रमशः पृष्ठ ...5....

03.01.2020

3/01/2020

Scanned with CamScanner

निर्णयानुसार सम्बन्धित विषयों के संयोजक क्रमशः डा0 विनोद कुमार, संयोजक–गणित विषय,क्राईस्ट चर्च डिग्री कालेज,कानपुर एवं डा0 अनुराग सक्सेना, संयोजक–भौतिक विज्ञान विषय, डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर से पाठ्यक्रम की सुमेलता के सम्बन्ध मे आख्या उपलब्ध कराये जाने पत्र प्रेषित किया गया था।

उक्तानुक्रम में गणित विषय के संयोजक डा0 विनोद कुमार द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि गणित विषय का प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र का पुराना पाठ्यक्रम लगभग 75 प्रतिशत नये पाठ्यक्रम से तथा तृतीय प्रश्नपत्र का पुराना पाठ्यक्रम लगभग शत प्रतिशत नये पाठ्यक्रम से सुमेलित है, परन्तु नये पाठ्यक्रम में छात्र ने चतुर्थ प्रश्नपत्र की लिखित परीक्षा भी दी है तथा छात्र को उक्त प्रश्नपत्र में अंक भी प्राप्त हुये हैं, वहीं पुराने पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा गणित की 45 अकों की मौखिकी परीक्षा के स्थान पर लिखित परीक्षा दी है। भौतिक विज्ञान विषय के संयोजक डा0 अनुराग सक्सेना द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि भौतिक विज्ञान विषय के नये एवं पुराने दोनो पाठ्यक्रम 80 प्रतिशत से अधिक सुमेलित हैं। अतः दोनो विषयों के संयोजकों से प्राप्त आख्या के आधार पर परीक्षा समिति ने सम्यक् विचारोपरान्त छात्रहित में भूतपूर्व छात्र राज कुमार पाल द्वारा बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष 2015, रोल नं0 6077826, महाविद्यालय–एस0जे0 महाविद्यालय, रमईपुर, कानपुर(KN90) की नये पाठ्यक्रम से दी गयी परीक्षा के गणित एवं भौतिक विज्ञान विषय के प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र के अंकों को पुराने पाठ्यक्रम की अंकन पद्धति के अनुसार Scaling करते हुए तद्नुसार अंक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया तथा बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष के गणित विषय के चतुर्थ प्रश्नपत्र में नये पाठ्यक्रम के अनुसार प्राप्त अंकों को Scaling करते हुए मौखिकी परीक्षा के अंकों में परिवर्तित करते हुए तद्नुसार अंक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव(परीक्षा / अतिगोपनीय / सिस्टम मैनेजर)

<u>बिन्दु सं0:</u> 8– **श्रीमती आमना सरहदी के बी0यू0एम0एस0 अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा, अनुक्रमांक 3420002 के प्रश्नपत्र (AU439) अमराज उज्न अनफ और हलक की उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ फटे होने के प्रकरण की जॉच हेतु गठित समिति की आख्या पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार**

निर्णय :– श्रीमती आमना सरहदी द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उन्होंने बी0यू0एम0एस0 अन्तिम वर्ष की व्यावसायिक परीक्षा, अनुक्रमांक 3420002 से परीक्षा केन्द्र इरम यूनानी मेडिकल कालेज, लखनऊ से दी थी। छात्रा द्वारा उक्त परीक्षा के प्रश्नपत्र (AU439) (ENT) अमराज उज्न अनफ और हलक की उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन देखे जाने के उपरान्त अवगत कराया गया कि उसकी उक्त प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ सं0 27,28,29 एवं 30 मूल्यांकन के समय फटे पाये गये, जिसका विवरण परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका में अंकित किया गया है। छात्रा द्वारा फटे हुये पृष्ठों का मूल्यांकन कर प्राप्तांक संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रकरण की जॉच हेतु माननीय कुलपति महोदया द्वारा गठित जॉच समिति ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है जॉचोपरान्त यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उत्तर पुस्तिकाओं के पृष्ठ किस स्तर पर फाड़े गये हैं। परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त, सुश्री आमना सरहदी के बी0यू0एम0एस0 परीक्षा के प्रश्नपत्र (AU439) (ENT) की उत्तर पुस्तिका के अन्य प्रश्नों में प्राप्त अंकों के आधार पर फटे हुये पृष्ठों में पॉचवे प्रश्न का उत्तर समाहित मानते हुए, पॉचवे प्रश्न में अनुपातिक औसत अंक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की पैकिंग का कार्य सी.सी.टी0वी0 की निगरानी में कराये जाने जाने तथा रिकार्डिंग सुरक्षित रखे जाने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने के सम्बन्ध में उक्त परीक्षा केन्द्र को कड़ा चेतावनी पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव(परीक्षा / अतिगोपनीय / सेमेस्टर / कोडिंग) / सिस्टम मैनेजर

क्रमशः पृष्ठ ...6....

03-01-2020

3/01/2020

Scanned with CamScanner

बिन्दु सं0: 9– अन्य विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से, में निम्नांकित प्रकरण परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये –

9(क) – **विश्वविद्यालय द्वारा प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क परीक्षा के घोषित किये गये परिणाम में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को कृपांक प्रदान किये जाने पर विचार –**

निर्णय :– विश्वविद्यालय द्वारा प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क परीक्षा के घोषित किये गये परिणाम में 58 छात्र/छात्रायें अनुत्तीर्ण घोषित किये गये। उक्त घोषित परिणाम के 58 अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं मे से 34 अभ्यर्थियों ने कृपांक के आधार परीक्षाफल पर पुनः विचार किये जाने का अनुरोध किया था। समन्वयक, प्री0–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क द्वारा भी अभ्यर्थियों को कृपांक प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। परीक्षा समिति द्वारा वर्तमान में विश्वविद्यालय में प्रचलित Ph.D. Degree Ordinance 2016 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा संशोधित UGC Regulations/Notification 2016 dated 05 July, 2016 में प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क की परीक्षा के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुशीलन किया गया। परीक्षा समिति ने सम्यक् विचारोपरान्त उक्त परीक्षा हेतु प्रचलित अध्यादेश के आलोक में छात्रहित में ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रत्येक प्रश्नपत्र की परीक्षा में आन्तरिक मूल्यांकन एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का कुल योग 55 प्रतिशत होने पर उन्हें उत्तीर्ण घोषित किये जाने व तद्नुसार उक्त परीक्षा का संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने का निर्णय लिया। उपरोक्त निर्णय इस प्रतिबन्ध के अधीन होगा कि यह निर्णय सिर्फ प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क परीक्षा–2019 के लिए लागू माना जायेगा तथा भविष्य में इसे नजीर के रूप में किसी अन्य परीक्षा के लिए प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

कार्यवाही– परीक्षा नियंत्रक कार्या0/प्रभारी,एकेडमिक विभाग

9(ख) – **सुश्री फिजा आमरीन छात्रा बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष 2019, रोल नं0 6045923 की उत्तर पुस्तिका बदले जाने एवं ओ0एम0आर उत्तर पत्रक में डबल गोले काले किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर गठित जॉच समिति से प्राप्त आख्या पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।**

निर्णय :– सुश्री फिजा आमरीन पुत्री मो0 सलीम अन्सारी द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र दिनांक 16/08/2019 एवं 18/09/2019 के माध्यम से अवगत कराया कि परीक्षा के दौरान छात्रा को भौतिक विज्ञान के द्वितीय प्रश्नपत्र में मिले ओ0एम0आर0 प्रश्नपत्र के सेट F को बदल कर सेट A कर दिया और डबल गोले भर दिये तथा सही गोलों को काट दिया, जिससे छात्रा को 02 अंक प्राप्त हुये तथा भौतिक विज्ञान के तृतीय प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका पूरी बदल दी गयी, जिससे उक्त छात्रा को तृतीय प्रश्नपत्र में 01 अंक प्राप्त हुये, जिससे उक्त छात्रा परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गयी। छात्रा के प्रकरण पर जॉच हेतु माननीय कुलपति महोदया द्वारा गठित जॉच समिति ने अपनी आख्या में छात्रा को भौतिक विज्ञान के द्वितीय प्रश्नपत्र(ओ0एम0आर0) में काटे गये गोलों को मूल्यांकित कराये जाने तथा छात्राहित में भौतिक विज्ञान के तृतीय प्रश्नपत्र में औसत अंक प्रदान किये जाने हेतु की गयी संस्तुति का अवलोकन परीक्षा समिति द्वारा किया गया। छात्रा के परीक्षा केन्द्र HA36 से प्राप्त आख्या एवं सत्यापन पत्रक में अंकित हस्ताक्षरों को छात्रा द्वारा जाली बताते हुए उसके हस्ताक्षर होने से इन्कार किये जाने का संज्ञान भी परीक्षा समिति द्वारा लिए गया। परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से छात्रा के बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष 2019, रोल नं0 6045923 की भौतिक विज्ञान के द्वितीय प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका(ओ0एम0आर0) में कटे हुये गोलों को ओ0एम0आर0 प्रश्नपत्र के सेट F के आधार पर मूल्यांकित कराकर तद्नुसार अंक प्रदान किये जाने तथा भौतिक विज्ञान के तृतीय प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका में छात्रा को औसत अंक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया। परीक्षा समिति

क्रमशः पृष्ठ ...7....

03.01.2020

3/01/2020

Scanned with CamScanner

ने छात्रा के परीक्षा केन्द्र– घुरई लाल वर्मा साइंस पी0जी0 महाविद्यालय, नयागॉव हरदोई(HA36) को भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने के सम्बन्ध में कड़ा चेतावनी पत्र जारी किये जाने का भी निर्णय लिया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव(परीक्षा/अतिगोपनीय/कोडिंग)/सिस्टम मैनेजर

9(ग) – चुनौती मूल्यांकन नियमावली में संशोधन हेतु गठित समिति की आख्या को परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर विचार –

विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रचलित चुनौती मूल्यांकन नियमावली में संशोधन/समीक्षा हेतु माननीय कुलपति महोदया द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 04/11/2019, 23/11/2019 एवं 02/12/2019 को सम्पन्न हुई। चुनौती मूल्यांकन नियमावली में परिवर्तन किये जाने हेतु लगातार जनसुनवाई एवं जनसूचना के माध्यम से मॉग करने वाले श्री अवधेश प्रताप सिंह, निवासी जनपद–आजमगढ़, को भी समिति द्वारा उनका पक्ष प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उनका पक्ष भी सुना गया। श्री अवधेश प्रताप सिंह द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन में उल्लिखित माननीय उच्च न्यायालय में सुश्री सोनी सोनकर द्वारा योजित याचिका सं0 33285/2018 में पारित निर्णय के अनुपालन में परीक्षा समिति द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में समिति द्वारा अभिमत दिया गया है कि याची सोनी सोनकर के प्रकरण विशेष में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता के अंकों में परिवर्तन किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में दिये गये आदेश को आधार मानकर सभी प्रकरणों पर उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना समीचीन नहीं है। परीक्षा समिति ने चुनौती मूल्यांकन नियमावली में संशोधन के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों तथा चुनौती मूल्यांकन के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा लिए गये निर्णयों/अन्य सम्बन्धित प्रपत्रों एवं वर्तमान में प्रचलित प्रभावी नियमावली के सभी बिन्दुओं का अनुशीलन किया। जॉच समिति द्वारा श्री अवधेश प्रताप सिंह के प्रत्यावेदनों में नियमावली में संशोधन किये जाने तथा उठाई गई आपत्तियॉ पोषणीय न होने के कारण उन्हें स्वीकार नहीं किये जाने के अभिमत को परीक्षा समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि चुनौती मूल्यांकन नियमावली में किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है तथा मेडिकल परीक्षाओं में चुनौती मूल्यांकन हेतु लिए जाने वाले शुल्क की समीक्षा किये जाने के प्रकरण पर सचिव महोदय द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि मेडिकल परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का चुनौती मूल्यांकन कराने में काफी कठिनाईयॉ आ रही हैं, क्योंकि अधिकाशतः सम्बन्धित विषयों/प्रश्नपत्रों में परीक्षक की अनुपलब्धता तथा अन्यत्र मूल्यांकन कराये जाने पर विश्वविद्यालय पर अत्यधिक व्ययभार पड़ रहा है। तद्नुसार मेडिकल परीक्षाओं के चुनौती मूल्यांकन हेतु लिए जाने वाले शुल्क के पुनः निर्धारण हेतु प्रकरण वित समिति के विचारार्थ प्रेषित किये जाने का निर्णय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव/सहायक(परीक्षा/अतिगोपनीय/सेमेस्टर/जनसूचना/जनसुनवाई)

9(घ)– **एल0एल0बी0 सेमेस्टर पाठ्यकम के 12 छात्रों द्वारा पाठ्यकम हेतु निर्धारित छः वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी एक या अधिक प्रश्नपत्र की परीक्षाऍ उत्तीर्ण न कर पाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णय के अनुपालन में बैक पेपर की अनुमति प्रदान किये जाने के प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।**

निर्णयः–माननीय उच्च न्यायालय में एल0एल0बी0 पाठ्यकम के 12 छात्रों द्वारा निर्धारित छः वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी एक या अधिक प्रश्नपत्र की परीक्षाऍ उत्तीर्ण न कर पाने पर माननीय उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाऍ योजित की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी याचिकाओं को निस्तारित करते हुए इस आशय के आदेश प्रदान किये गये हैं कि अध्यादेश

कमशः पृष्ठ ...8....

03.01.2020

3/01/2020

Scanned with CamScanner

के प्राविधानों के आलोक में समयबद्धता के साथ प्रकरणां का निस्तारण किया जाय। उक्त प्रकरण पर संकायाध्यक्ष, विधि संकाय से उक्त प्रकरण पर आख्या माँगी गयी थी। संकायाध्यक्ष, विधि संकाय ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि ऐसे छात्रों की बैक पेपर परीक्षा कराये जाने हेतु एक अन्तिम अवसर परीक्षा समिति से अनुमोदन के पश्चात दिये जाने का उल्लेख किया गया है। समिति द्वारा संकायाध्यक्ष की आख्या तथा एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम हेतु प्रचलित अध्यादेश का अनुशीलन किया गया तथा ऐसे छात्र/छात्राओं को, जिनके एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु निर्धारित छः वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है, अध्यादेश में वर्णित नियमों के अनुसार, बैक पेपर की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है।

कार्यवाही—उपकुलसचिव/सहायक(सेमेस्टर परीक्षा/अतिगोपनीय/विधि प्रकोष्ठ)

अन्त में मा0 कुलपति जी द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

03.01.2020
डॉ0(अनिल कुमार यादव)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति

03/01/2020
प्रो0(नीलिमा गुप्ता)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned with CamScanner